न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.

अनवान :– विविध प्रकरण संख्या 67/2020

1. बलविन्द्र कौर पत्नी बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चक पर जैड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
2. तरसेम सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह जाति जट सिख निवासी चक 16 जैड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।

– – प्रार्थीगण

–:: बनाम ::–

1. अंग्रेज सिंह पुत्र गुरनायब सिंह जाति जट सिख निवासी चक 18 जैड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
2. बलतेज सिंह पुत्र गुरनायब सिंह जाति जट सिख निवासी चक 18 जैड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
3. इन्द्रजीत सिंह पुत्र श्री गुरचरण सिंह जाति जट सिख निवासी चक 18 जैड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर ।
4. सुखविन्द्र सिंह पुत्र श्री लाभ सिंह जाति जट सिख निवासी चक 18 जैड़, तहसील व जिला श्रीगंगानगर। 5.
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर

– – अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनी कन्डीशन बाबत किये जाने निरस्त रास्ता

–:: उपस्थित अभिभाषकगण ::–

1. श्री दिनेश छाबडा — प्रार्थीगण
2. श्री राम कुमार गोस्वामी — अप्रार्थीगण

–:: निर्णय ::–

दिनांक :– 15.02.2021

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता उपरोक्त अनवान का प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की कृषि भूमि तहसील वा जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड़, भू.अ.नि.क्षेत्र 18 जैड़ में निम्न प्रकार से दर्ज रिकॉर्ड है। जिसके एकमात्र खातेदार एवं काबिज काश्तकार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण है। प्रार्थीया संख्या 1 बलविन्द्र कौर के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़ का खाता संख्या 48/44, मुरब्बा नम्बर 6 का किला नम्बर 1/1 से 10 में 1.9230 हैक. भूमि अन्य भूमि के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी संख्या 2 तरसेम सिंह पुत्र बलविन्द्र सिंह के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़ का खाता संख्या 31/30, मुरब्बा नम्बर 6 का किला नम्बर 6, 7/1, 11, 12/1 में 0.8030 हैक. कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थीगण संख्या 1 वा 2 के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड़, भू.अ.नि.क्षेत्र 18 जैड़ का खाता संख्या 45/45, मुरब्बा नम्बर 6 का किला नम्बर 12/2 से 25/1 में 3.3060 हैक. भूमि दर्ज रिकॉर्ड है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

उपरोक्तानुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 वा 2 के नाम से मुरब्बा नम्बर 6 की कृषि भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। अप्रार्थी संख्या 3 इन्द्रजीत सिंह के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड़, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड़ का खाता संख्या 10/8, मुरब्बा नम्बर 3 का किला नम्बर 13/2, 14 ता 18 एवं 25/2 में 1.3410 हैक. भूमि दर्ज रिकॉर्ड है एवं उक्त भूमि प्रार्थीगण की मुरब्बा नम्बर 6 की भूमि से चिपती हुई भूमि है। प्रार्थी संख्या 4 सुखविन्द्र सिंह के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड़, भू.अ.नि.क्षेत्र 18 जैड का खाता संख्या 72/63, मुरब्बा नम्बर 7 का किला नम्बर 1/1 से किला नम्बर 25 तक में 6.1990 हैक. भूमि अन्य भूमि के साथ दर्ज रिकॉर्ड है। इसके अलावा प्रार्थीया संख्या 1 के नाम से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड़, भू.अ.नि. क्षेत्र 18 जैड़ का खाता संख्या 48/44, मुरब्बा नम्बर 2 का किला नम्बर 3 ता 8, 13 ता 18 5/2 में 0.0620 हैक. कुल 3.0980 हैक. भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 वा 2 की खातेदारी कृषि भूमि तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़ का मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 9, 13, 17 व 25 में भूमि के मध्य से एवं भूमि को काटता हुआ एक गैरमुमकिन रास्ता महज राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या 1 में 0.898 हैक. दर्ज है जबकि मौका पर मुरब्बा नम्बर 6 में कभी भी ऐसे किसी रास्ता का भौतिकी रूप से न तो वजूद रहा है, ना ही कभी मौका पर कभी कोई रास्ता चला है एवं ना हीं चल रहा है एवं ना ही भूमि के मध्य से तिरछा रास्ता ही हो सकता है। राजस्व रिकॉर्ड में महज दर्ज ऐसा रास्ता कभी किसी खातेदार के उपयोग में नहीं आ रहा है एवं मौका पर उक्त किलाजात सालम में काश्त हो रही है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण प्रारम्भ से ही एवं अर्सा समय से तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़ के मुरब्बा नम्बर 4 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 एवं मुरब्बा नम्बर 14 के किला नम्बर 1, 10, 11, 20, 21 में स्वीकृत सरकारी रास्ता एवं पक्की सड़क से होकर अपनी अपनी कृषि भूमि मुरब्बा नम्बर 2, 3 व 7 में जाने के लिए परस्पर सहमति से चक 18 जैड़ के मुरब्बा नम्बर 5 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 एवं मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 5, 4, 3, 2, 1 से होकर आ जा रहे है एवं इससे आगे अपनी भूमि में आते जाते हैं एवं काश्त की व्यवस्था करते है। उक्त रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण अब स्वीकृत करवाये जाने हेतू पृथक से धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। महज राजस्व रिकॉर्ड में मुरब्बा नम्बर 6 की भमि को मध्य से तिरछा काटता हुआ किला नम्बर 1, 9, 13, 17 व 25 में रास्ता दर्ज है जो कि आज दिनांक तक मौका पर कभी अस्तित्व में नहीं आया एवं ना हीं किसी खातेदार की भूमि के मध्य से उसकी फसल को खराब कर रास्ता का कोई वजूद ही हो सकता है। प्रार्थीगण, अप्रार्थीगण एवं अन्य काश्तकार उपरोक्तानुसार ही अपनी भूमि में आ जा रहे है एवं मुरब्बा नम्बर 6 के उक्त किलाजात में पूर्ण रूप से काश्त हो रही है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 वा 2 की भूमि में से राजस्व रिकॉर्ड में महज दर्ज रास्ता का कोई उपयोग, उपभोग एवं किसी भी अन्य अप्रार्थीगण खातेदार के उपयोजनार्थ उपयोग उपभोग में ना आने के कारण एवं मौका पर पूर्ण किलाजात में काश्त होने के कारण भूमि के मध्य से ऐसे तिरछे रास्ता की कतई आवश्यकता नहीं है एवं ना ही किसी खातेदार के उपयोग में आ रहा है एवं सीधा रास्ता, जो कि मौका पर चल रहा है, को स्वीकृत करवाये जाने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। ऐसी स्थिती में मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 9, 13, 17 व 25 में राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज 0.8980 हैक. रास्ता को

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

निरस्त किया जाकर भूमि यथानुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 वा 2 के नाम से रिकॉर्ड में दर्ज किया जाना न्यायोचित है। प्रार्थीगण के द्वारा अप्रार्थीगण को कई मरतबा जाकर निवेदन किया कि वे तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड़, भू.अ.नि.क्षेत्र 18 जैड़ का मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 9, 13, 17, 25 में महज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता, जो कि आज दिनांक तक कभी भी उपयोग में नहीं हुआ, को रिकॉर्ड में निरस्त करवाकर भूमि यथानुसार अपने अपने नाम से दर्ज करवा लेवें जिससे कि किसी भी प्रकार का विवाद ना रहे क्योंकि उक्त रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता कभी अस्तित्व में नहीं रहा, इसी आशय का निवेदन अप्रार्थी संख्या 5 से भी किया गया तो अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 4 के द्वारा ऐसा करना अपने हाथ में ना होना कथन करते हुए इन्कारी एवं अप्रार्थी संख्या 5 के द्वारा माननीय न्यायालय से आदेश लाये जाने का कहकर इन्कारी करने पर दिनांक 10.06.2020 को प्रार्थीगण को मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का वाद हेतूक उत्पन्न हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 1 वा 2 का हित प्रार्थीगण के समान है लेकिन अनुपलब्धता के कारण अप्रार्थीगण बनाया गया है। लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि पार्थना पत्र अन्तर्गत कन्डीशन 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनी कन्डीशन 1955 का स्वीकार किया जाकर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड़, भू.अ.नि.क्षेत्र 18 जैड़ का मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 9, 13, 17, 25 में महज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता 0.8980 हैक. खाता संख्या 1/1 को राजस्व रिकॉर्ड में निरस्त किया जाकर भूमि यथानुसार प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण संख्या 1 वा 2 के नाम से उनके हिस्सानुसार रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश पारित किये जावें।

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राज.काश्त. अधि. का जवाब पेश नहीं करना चाहा।

प्रार्थीगण द्वारा चाहे गये रास्ता के सम्बन्ध में तहसीलदा (राजस्व) श्रीगंगानगर से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई। मुताबिक तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर की रिर्पोट प्रार्थी मुताबिक राजस्व रिकार्ड के खाता सख्या 1/1 के अनुसार चक 18 जैड के मु0 न0 के किला न0 1/0.038, 9/0.038, 13/0.038, 17/0.025, 25/0.25 कुल 0.152 हैक. गैर मु0 रास्ता जो खसरा सख्या 59 के 0.898 हैक0 मे शामील है, उक्त रास्ता जो कि मुताबिक भू० अभिलेख के नजरी नक्शा के अनुसार उक्त किलो के बीच मे से चल रहा है, जिसे प्रार्थी के द्वारा निरस्त करवाने हेतु निवेदन किया है जो मौका पर पगडंडी के रूप मे चल रहा है। मौका पर काश्तकारो के द्वारा कृषियन्त्रो, वाहनो के आवगमन हेतू मु0 न0 5 के किला न0 1 ता 05 व मु0 न0 6 के किला न० 1 ता 5 में से रास्ता को उपयोग में लिया जा रहा है, जो राजस्व रिकार्ड कृषि भूमि दर्ज है। मौका नक्शा की प्रति अवलोकनार्थ सलग्न है। वस्तुस्थिति की रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि चक 18 जैड के मु0 न0 5 के किला न0 1 ता 05 व मु0 न0 6 के किला न0 1 ता 5 मे से रास्ता जो मौका पर चल रहा है जिसको राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत हेतू आर टी ए की धारा 251 (1) में प्रकरण सख्या 66/2020 अनवान सुखविन्द्र सिह बनाम अग्रेज सिह श्रीमान जी के न्यायालय में विचाराधीन है।

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

–:: आदेश ::–

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तोवजात एवं तहसीलदार(राजस्व), श्रीगंगानगर की रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। प्रार्थीया एवं अप्रार्थीगण के मध्य आपसी सहमति है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 8(2) राजस्थान जनरल कॉलोनी कन्डीशन बावत किये जाने निरस्त रास्ता स्वीकार किया जाकर तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 18 जैड़, पटवार क्षेत्र 18 जैड़, भू.अ.नि.क्षेत्र 18 जैड़ का मुरब्बा नम्बर 6 के किला नम्बर 1, 9, 13, 17, 25 में महज राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रास्ता 0.8980 हैक. खाता संख्या 1/1 को राजस्व रिकॉर्ड में निरस्त किया जाता है।

निर्णय की प्रति तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को पालना हेतु भिजवाई जावे।

पत्रावली निर्णयशुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तकलीम दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 15.02.2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्रीगंगानगर

उपखण्ड अधिकारी
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner